कार्यालय
महाप्रबन्धक इंजी
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर
OFFICE OF THE
GENERAL MANAGER ENGG
N.E. RAILWAY, GORAKHPUR

संख्या – डब्लू/68/विज/कान्फीडे./भाग–।।/डब्लू–3सा0

दिनांक 09.04.2021

वरि0मण्डल इंजी0/समन्वय,
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर, लखनऊ एवं वाराणसी
उप मुख्य इंजीनियर/गो0क्षे0,पूर्वोत्तर रेलवे,गोरखपुर।
मुकाप्र0/पुल/पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।
मुप्रअ0/निर्माण/पूउरे0/गोरखपुर।

पद्धति सुधार

विषय :– पद्धति सुधार (निविदा आमंत्रण हेतु मदों की दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में)।

संदर्भ :– (i) उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/इंजी0, पूउरे0/गोरखपुर का पत्र सं0–Z/13/SS/2016/Comp/CA-iii(A)/62/30 दि.18.02.21(छायाप्रति संलग्न).

(ii) रेलवे बोर्ड का पत्र सं.2013/CE-I/CT/O/12/ZT दि. 07.06.2013

(iii) रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या 94/CE.I/CT/4 दिनांक 17.09.1997

विषयगत के सम्बन्ध में सतर्कता विभाग के संदर्भित पत्र सं0 (I) द्वारा अवगत किया गया है कि जॉच में यह पाया गया कि एक आमंत्रित निविदा में कार्य की जो अनुमानित लागत दी गई थी वह निविदा में संलग्न टेंडर शेड्युल के विभिन्न मदों के मूल्य के कुल योग के समान नहीं थी जिसका कारण इस टेंडर शेड्यूल को बनाए जाने से पूर्व स्वीकृत किए गए इसके टेंडर एस्टीमेट में इन मदों की दर का निर्धारण पूर्व स्वीकृत दर (बेसिक दर) पर जोनल इंक्रीमेंट को जोड़ते हुए किया गया था एवं इन मदों की प्राप्त अद्यतन दरों के अनुसार, आमंत्रित निविदा में कार्य की कुल अनुमानित लागत को दर्शाया गया था जबकि इसके टेंडर शेड्यूल में इन मदों में केवल बेसिक दर को ही दर्शाया गया। इसके अलावा कुछ मदों की दरों का निर्धारण केवल एक LAR के आधार पर किया गया था। प्राक्कलन बनाने के लिए LAR लेने के सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड का दिशा निर्देश रेलवे बोर्ड का संदर्भित पत्र संख्या (ii), दिनांक 07.06.2013 को इस कार्यालय के पत्र संख्या W/362/0/A/Pt.VIII/W-3(G) दिनांक 05.07.2013 द्वारा सभी मण्डलों/इकाईयों को अनुपालन हेतु प्रेषित किया गया है।

अतः यह दिशा निर्देश दिया जाता है कि–

1. आमंत्रित निविदा में कार्य की अनुमानित लागत निविदा में संलग्न टेंडर शेड्युल के विभिन्न मदों के मूल्य के कुल योग के समान होना चाहिए।
2. आमंत्रित निविदा में कार्य की कुल अनुमानित लागत, टेंडर शेड्युल में इन मदों की LAR में दी गई बेसिक दरों पर सभी प्रभावी कारको जैसे जोनल इंक्रीमेंट, Price Escalation इत्यादि को जोड़ते हुए सुनिश्चित किया जाय।
3. रेलवे बोर्ड के संदर्भित पत्र संख्या (ii) एवं (iii) में दिये गये निर्देशों के अनुसार मदों की दरों का निर्धारण एक से अधिक LAR के औसत के आधार पर सुनिश्चित किया जाय।

It is reiterated as described in ref.(ii) as well as in para no. 9 of ref.(iii) being reproduced below, should be very strictly followed:-

"Estimated cost should be worked out on the basis of average of a number of Last Accepted Rates on the Division/Railway, duly catering for any special features of the work, e.g. site conditions, type of work, weather conditions, completion period, law & order, availability of labour & materials etc. Enhancement of estimated rates should be based on Building Cost Index/RBI Indices for the period elapsed between the preparation of estimate and the date when Last Accepted Rates were received."

कृपया इसे अति आवश्यक समझें।

संलग्नक/यथोपरि

(एस.पी. यादव)
मुख्य इंजीनियर/कार्य
कृते महाप्रबन्धक/इंजी

प्रतिलिपि:– उप मुसताधि/इंजी0/पूउरे0/गोरखपुर को संदर्भित पत्र सं0 (1) के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

09.04.2021
कृते महाप्रबन्धक/इंजी